



**Govt. T.C.L. P.G. College, Janjgir**  
**Distt.- Janjgir-Champa, Chhattisgarh**  
**Affiliated to Shaheed Nandkumar Patel University Raigarh (C.G.)**  
**Accredited with Grade - 'B' by NAAC**

Email id- [tclpgcollege@gmail.com](mailto:tclpgcollege@gmail.com)  
UGC CODE-201050

College Code-307  
AISHE CODE - C-22319

Website- <https://www.govttclpgcollege.ac.in>  
Mobile No. 9589341000

**6.3.1 Effective welfare measures for teaching and non- teaching Staff**

S.N.	Name of beneficiary	Welfare scheme
1.	Dr. Ambika Prasad Verma	Medical Re-imburement
2.	Prof. R. K.Pandey	Medical Re-imburement
3.	Mr. Naresh Kumar Azad	Medical Re-imburement
4.	Dr. K. K. Patel	Medical Re-imburement
5.	Mr. O.P. singh	Medical Re-imburement
6.	Dr. (Smt.) Vrinda Sen Gupta	Medical Re-imburement
7.	Smt. Kasturi Bai	GPF Temporary advance



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - highereducation.cg@gmail.com

क0 48 / 18 / आउशि / बजट / 2021

रायपुर दिनांक ...13/7/21...

प्रति, प्राचार्य

शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय :-

मांग संख्या-64 अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आबंटन प्रदाय करने संबंधी ।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके महाविद्यालय में कार्यरत डॉ० श्रीमती वृन्दासेन गुप्ता, सहायक प्राध्यापक के लंबित देयक अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आबंटन प्रदाय किया जाता है:-

क्रं.	महाविद्यालय का नाम	वेतन भत्ते (चिकित्सा व्यय) राशि रूपयों में
	HEAD 64-2202-03-103-0103-0798	01-015
1	शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	4,66,000/-

2. आबंटन का अभिप्राय भुगतान की स्वीकृति नहीं है। चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 व शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन अनिवार्यतः करते हुये संबंधितों के द्वारा किये गये देयकों के परीक्षण उपरांत नियमानुसार ही भुगतान किया जावे। अनियमितता या नियम विरुद्ध आहरण/भुगतान किये जाने पर कार्यालय प्रमुख/डी.डी.ओ. की जिम्मेदारी होगी।

3. उक्त आबंटन मांग संख्या-64-अनुसूचित जाति उपयोजना -2202 सामान्य शिक्षा-(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (103)-सरकारी कालेज और संस्थान-0103-अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना -798- कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय-01-वेतन भत्ते - 015-चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर रायपुर  
रायपुर, दिनांक .....13/7/21.....

पृ क्रमांक 47 / 18 / आउशि / बजट. / 2021  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर
2. आयुक्त, कोषलेखा एवं पेंशन, रायपुर
3. संबंधित कोषालय अधिकारी

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर रायपुर

क0 11 /05/आउशि/बजट/2022  
प्रति,

रायपुर दिनांक 12/04/2022

प्राचार्य

शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय :- मांग संख्या-64 अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आबंटन प्रदाय करने संबंधी ।

00

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके महाविद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के लंबित देयक अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आबंटन प्रदाय किया जाता है:-

स.क.	अधिकारियों/कर्मचारी का नाम एवं पद	वेतन भत्ते (चिकित्सा व्यय) राशि रूपयों में
	<b>HEAD 64-2202-03-103-0103-0798</b>	<b>01-015</b>
1.	श्री नरेश कुमार आजाद, सहा.प्रा.	1,25,591/-
2	डॉ. अम्बिका प्रसाद वर्मा, सहा.प्रा.	4,24,608/-
3	डॉ. के.के.पटेल, सहा.प्रा.	37,662/-
	<b>कुल योग :-</b>	<b>5,87,861/-</b>

2. आबंटन का अभिप्राय भुगतान की स्वीकृति नहीं है। चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 व शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन अनिवार्यतः करते हुये संबंधितों के द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के परीक्षण एवं अन्य कही से उक्त देयकों के भुगतान प्राप्त न किये जाने सम्बंधी शपथ पत्र प्राप्ति उपरांत नियमानुसार ही भुगतान किया जावे। अनियमितता या नियम विरुद्ध आहरण/भुगतान किये जाने पर कार्यालय प्रमुख/डी.डी.ओ. की जिम्मेदारी होगी।
3. उक्त आबंटन मांग संख्या-64-अनुसूचित जाति उपयोजना -2202 सामान्य शिक्षा-(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (103)-सरकारी कालेज और संस्थान-0103-अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना -798- कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय-01-वेतन भत्ते - 015-चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।  
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

सहायक संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर रायपुर  
रायपुर, दिनांक 12/04/2022

पृ क्रमांक 12 /05/आउशि/बजट./2022  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर
2. आयुक्त, कोषलेखा एवं पेंशन, रायपुर
3. संबंधित कोषालय अधिकारी

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सहायक संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर रायपुर

प्रति,

प्राचार्य,

शा.टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर,

जिला - जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)।



विषय - टेम्प्रेरी एडवांस की स्वीकृति बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि मुझे स्वयं के ईलाज के लिए टेम्प्रेरी एडवांस की आवश्यकता है।

अस्तु आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे डी.पी.एफ. खाते से रु.30000 टेम्प्रेरी एडवांस के रूप में स्वीकृत करने का कृपा करेंगे।

कस्तुरी  
भवदीय

कस्तुरी

भवदीय

कस्तुरी बाई यादव  
शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय जांजगीर (छ.ग.)

कस्तुरी

Date 23-8-21  
दिनांक

Signature of the Subscriber  
हस्ताक्षर

# SANCTION BY THE COMPETENT AUTHORITY

Date 23.8.21

Order No.

1. Amount hereby sanctioned 30000/- Rs. for self & his
2. (a) Nature of withdrawal sanctioned TEMPORARY/PART FINAL ADVANCE  
(b) Number of instalments in which the amount is to be authorised if it is a Part final withdrawal / Part final Advance Treatment of self
3. Rules under which the Sanction is accorded. 15 (1) & (2)
4. If the sanction is given for special reasons. (the reasons in brief.) Treatment of self
5. No. of instalments in which the amount is to be repaid (the instalment should be equal in amount and in whole rupees) 2000/- per month set
6. Head of account to which the amount is to be debited. 2202
7. Conditions :  
(Delete those which are not applicable.)  
(a) The amount is to be drawn after authorisation by the A.G.M.P. or per rate  
(b) The amount withdrawn shall be sanctioned for the specific purpose for which it is withdrawn and a utilisation certificate shall be furnished by the subscriber within a period of ..... months. Yes  
(c) Any amount in excess of actual utilisation should be returned into treasury immediately with interest. Yes  
(d) Any other condition. No
8. It is certified that all the conditions required to be fulfilled for this sanction have been satisfied. Yes

Date .....200

Endtt, No.

Forwarded to

1. The Account General .....
2. Head of Department.
3. Treasure Officer

Signature of the Sanctioning Authority and Designation

A. J. Vassara  
**PRINCIPAL**  
Govt. T.C.L.P.G. COLLEGE  
Janjgir, Dist. Janjgir Champa (C.G.)  
D.D.O. Code - 0638001

4. Personal file

5. Applicant.

**PRINCIPAL**  
Govt. T.C.L.P.G. COLLEGE  
Janjgir, Dist. Janjgir Champa (C.G.)  
D.D.O. Code - 0638001